<u>दिनांक 05.12.2013 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यपालक अभियंताओं की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही</u> :-

1. श्री तुलसी राम, प्रभारी, तकनीकी कोषांग यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बैठक हर माह नियमित रूप से निश्चित तौर पर हो । इसमें कोई अपवाद मान्य नहीं होंगे ।

2. सभी कार्यपालक अभियंता मासिक तौर पर अपने जिले के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायकों के कार्यों की समीक्षा करेंगे और कार्यवाही संधारित करेंगे । साथ ही कार्यवाही की एक प्रति राज्य तकनीकी कोषांग को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

3. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2011-12 तक ली गयी सभी योजनाएं भौतिक रूप से तथा MIS पर अभियान स्वरूप 31 जनवरी 2014 तक पूर्ण करके प्रविष्ट कर दी जाय । ये सभी कार्यपालक अभियंताओं की जिम्मेदारी होगी । इसमें यदि किसी कार्यक्रम पदाधिकारी या अन्य मनरेगा कर्मी का सहयोग नहीं मिलता हो तो इस संबंध में कार्यपालक अभियंता लिखित रूप से जिला कार्यक्रम समन्वयक का ध्यान आकृष्ट करेंगे और उसकी सूचना राज्य तकनीकी कोषांग को देंगे ।

4. इस संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश राज्य तकनीकी कोषांग के माध्यम से सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भेजा जाय ।

5. तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा समय पर प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की गयी । यह निर्णय लिया गया कि प्राक्कलन बनाने में तेजी लायी जाय । पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता हर स्तर पर पंजियाँ संधारित करेंगे, जिसमें प्राक्कलन के प्रवाहों को देखा जा सके । पंजियों का प्रपत्र राज्य तकनीकी कोषांग द्वारा विकसित कर कार्यपालक अभियंताओं को भेजा जाएगा ।

6. सभी को अवगत कराया गया कि समय पर मापी सुनिश्चित कराएं ताकि कार्य के विरूद्ध भुगतान हो ।

7. मनरेगा निर्माण सामग्रियों की स्थानीय स्तर पर दर निर्धारण एवं क्रय की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गयी । इस पर प्रभारी तकनीकी कोषांग 15 दिनों के अंदर एक प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे ।

8. मनरेगा के SOR निर्धारण की जिम्मेदारी तकनीकी कोषांग को दी गयी है । इसमें काफी विलंब हो गया है । तकनीकी कोषांग सामयिक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

9. सभी कार्यपालक अभियंता एवं अन्य तकनीकी कर्मी मनरेगा के नरेगा सॉफ्ट पर "Work Status" को अवश्य देखा करें और उस आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में सुधार लाएं ।

10. मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की फोटोग्राफी के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं जिसमें पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को Android based Phone देने का प्रावधान किया गया है । इसके अनुपालन की समीक्षा करके जिलावार स्थिति प्रभारी पदाधिकारी तकनीकी कोषांग उपस्थापित करेंगे ।

11. सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे गतिशील रहें, कार्यों का कड़ा निरीक्षण करें । जो कर्मी ढिलाई बरतते हैं उनके विरूद्ध प्रतिवेदन दें । नियम और प्रक्रिया का पालन करके विधि सम्मत कार्यान्वयन करवाएं ।

18/12

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक 172037 पटना, दिनांक 20/12/2013

ग्रा.वि.-8(थ)विविध-05/2013

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिलों के कार्यपालक अभियंता (डी.आर.डी.ए.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/12

सचिव